बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0–पि0व0 / पो0मै0छा0–36–08 / 2019–

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा0प्र0से0)
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रू० 1.00 करोड़ (रू० एक करोड़) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या–673, दिनांक–23.03.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–2023'' के संचालन एवं दिशा–निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या–1385 दिनांक–25.08.2021 द्वारा स्वीकृत ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना'' को वित्तीय वर्ष 2022–23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के तहत उक्त योजना अन्तर्गत मोनेटरिंग कार्य हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रू० 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त कार्य हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–48 / 18.06.2025 द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत राशि रू० 1.00 करोड़ मात्र के संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कोषागार के द्वारा की गई आपत्ति के कारण उक्त स्वीकृत राशि की निकासी नहीं की जा सकती है।

4–उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना के अनुश्रवण हेतु कृत कार्यों के लिए किया जाएगा।

5–उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उप शीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–13.01–कार्यालय व्यय विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

6–इस स्वीकृत राशि के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा तथा आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। विभागीय संकल्प संख्या–673 दिनांक–23.03.2023 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

7–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

P.T.O.

8–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जितना का वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2027 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेगें।

9–स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

10–प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–08/2019– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०)/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–08/2019– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–08/2019– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/पो0मै0छा0–36–08/2019– 81 पटना, दिनांक– 24/07/2026

प्रतिलिपि– माननीया मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना /निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/बजट प्रशाखा/आई० टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/7/26

सरकार के अपर सचिव।